



सम्पूर्ण प्रकृत के भवन / स्ट्रक्चर की सुखा हेतु
निम्न तालिका पर समस्त शीतल के ऊपर
आवश्यकता पूर्वक दिये जाने वाले / आवश्यक
है जो नीचे दिये गये विवरण प्रत्येक एक
के नीचे दिये जाये।

पर्यावरण की दृष्टि से राज्य वन निधि
अभियन्ता के अनुमति पत्र से कम
जाना होगा।

अवसादन से पूर्व सम्पूर्ण प्रमाण-पत्र
प्राप्त करना अनिवार्य है।

इस पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की
सत्यापन व विनायक सिखन अनिवार्य होगा।

विद्युत निवेश के अनुसार विद्युत लाइनें
अवसादन की विधि से स्थापित करनी होंगी।

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों के
अधीन मानचित्र निर्माण किया जाता है।

सम्पत्ति सम्पत्ती किसी भी विवाद
की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृत
न्यतः निरस्त समझी जायेगी।

“आवसादन पूर्व सभी कार्यवाही प्रकृतों का श्रम विभाग
के निरीक्षणकर्ता की निगरानी में करना आवश्यक है।”

“निर्माणार्थीन अवधि में निर्माण स्थल पर मूल से
बचने हेतु सशुचित कवर का प्रयोग किया जाए
निर्माण सामग्री के परिवहन एवं उनसे उपयोग
की अवधि में निर्माण सामग्री पर भारी का
छिड़काव एवं ढकट सशुचित धुनिट का उपयोग
अनिवार्य रूप से किया जाए निर्माण सामग्री को
ने लाने हेतु ट्रक द्वारा वाहनो का प्रयोग किया जाए।”

इस मानचित्र स्वीकृति से कवल पांच वर्ष तक वैध है।

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGEND	
SYMBOL	DESCRIPTION
	COLD WATER SUPPLY LINE 500 CWS PIPE
	FLUSHING WATER SUPPLY LINE 400 FWS PIPE

NORTH



WATER SUPPLY PLAN

PROJECT: SUBMISSION DRAWING FOR THE PROPOSED AFFORDABLE HOUSING (PMAY) PROJECT "JAGDISHPURAM" AT KHASRA NO. - 1207M VILLAGE NOOR NAGAR GHAZIABAD (U.P.)		DRAWING TITLE: WATER SUPPLY PLAN	
DEVELOPER:- JAI AMBEY ESTATE PVT. LTD. (CONSORTIUM) THROUGH MR. ARVIND RATHOR		ARCHITECTS SIGN: 	
ANUJ AGARWAL ARCHITECTS OFFICE:- A-244 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.) Ph:-0120 - 4165716, 4563716, 6454182 e-mail:- arch.anujagarwal@gmail.com		SCALE	DEALT BY
		DESIGN BY	CHECKED BY
		DRG. No.	DATE
		SD-06	